

**न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)**  
**(समक्ष : विकास शुक्ला)**

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 2400182-ए/2016

F.No. 102105/2016

संस्थापित दिनांक 18.10.2016

तेजसिंह जाटव उम्र 75 वर्ष, पुत्र बलधारी  
जाटव धंधा कृषि निवासी-ग्राम मुरलीपुरा  
थाना देहात तहसील व जिला भिण्ड

**..... आवेदक/वादी**

**वि रू द्ध**

1. महेन्द्र जाटव उम 36 वर्ष पुत्र श्री हरिश्चंद्र जाटव धंधा कृषि ।
2. श्रीमती कलावती जाटव उम 55 वर्ष पत्नी श्री हरिश्चन्द्र जाटव धंधा कृषि एवं गृहकार्य, दोनो निवासी ग्राम मुरलीपुरा थाना देहात, तहसील व जिला भिण्ड ।
3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश जिला भिण्ड

**..... अनावेदकगण/प्रतिवादीगण**

(// आदेश //)

**( आज दिनांक 16.08.2017 को पारित किया गया)**

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा ।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 एक ही परिवार/खानदान के सदस्य होकर ग्राम मुरलीपुरा में अलग अलग मकानों में निवास करते हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 पुश्तैनी मकान में निवास करते हैं, जब कि वादी द्वारा गढूपुरा के चिंतामन से जगह कय कर उस पर मकान बना कर परिवार सहित निवास करता है। वादी पांच भाई हैं, जिनमें तीन भाईयों की मृत्यु हो चुकी है तथा

वादी का सभी भाईयों से पुश्तैनी कृषि भूमि का विधिवत बटवारा होकर अलग अलग ऋण पुस्तिकायें भी बन चुकी है तथा सभी अपने अपने हिस्से पर कृषि कार्य कर रहे हैं। वादी का एक भाई हरिश्चंद्र रेलवे विभाग से सेवा निवृत्त होकर मुम्बई में निवास करते हैं तथा उनके हिस्से की कृषि भूमि पर उनका पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 व पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 2 काबिज काश्त है। बटवारे में वादी को सर्वे नम्बर 1422 रकवा 0.15 हेक्टर, सर्वे नम्बर 1458 रकवा 0.07, सर्वे नम्बर 2170 रकवा 0.08 कुल किता 3 कुल रकवा 0.30 हेक्टर प्राप्त हुआ था और इतना ही भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता व प्रतिवादी क्रमांक 2 के पति हरिश्चंद्र को मिला था। वादी के एक पुत्र बादशाह था, जो करीब 15-16 वर्ष से बाहर चला गया जो वापिस नहीं आया है तथा उसकी पत्नी, चार पुत्री एवं एक पुत्र वादी के साथ वैध वारिस के रूप में निवास करते हैं।

3. वादी द्वारा चिंतामन से सर्वे क्रमांक 2283 2284/1,2285/12286/1, जिनके बदोवस्त उपरान्त नवीन सर्वे नम्बर 2158, 2212, 2213 व 4099 में से 0.052 हेक्टर क़य किया गया था, जिस पर वादी द्वारा दो हिस्सों में मकान बनाये गये थे, जिनमें एक हिस्से पर पुत्रवधू सहित उनके बच्चे निवास करते हैं तथा एक हिस्से पर वादी स्वयं निवास करता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना बताये बाहर चला जाता है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 जो कि विकलांग एवं परेशान होने से वादी के परिवार के साथ कमरे में रहने लगी थी। दिनांक 07.10.2016 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आकर वादी के कमरे का ताला तोड़ कर उसका सामान खुरद बुर्द कर दिया था जब वादी भिण्ड से गांव पहुंचा तो प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा कहा गया कि वादी का मकान खाली नहीं करेगा तथा उसकी जमीन पर भी कब्जा करेगा तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा भी समर्थन किया गया तथा दोनों प्रतिवादीगण के मन में खोट आ जाने से उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 2 की सहमति से उसके पति हरिश्चंद्र द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया तथा उसने अपने हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 को भरण पोषण हेतु प्रदान किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता हरिश्चन्द्र द्वारा मुम्बई में एक

मकान दानपत्र के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिया गया था जो उसके द्वारा हरिश्चंद्र को बताये बिना विक्रय कर दिया तथा जाली हस्ताक्षर कर हरिश्चंद्र के खाते से करीब 7-8 लाख रुपये भी निकाल लिये थे, जिसके संबंध में कार्यवाही संचालित है। कुछ समय पूर्व भाई हरिश्चंद्र गांव में आया और वादी के परिवार के साथ रहने से नाराज होकर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा मकान एवं जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी गई है। वादी की सम्पत्ति में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा न होने एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में होने से प्रकरण के निराकरण तक वादी की संपूर्ण संपत्ति में प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से रोकने/निषेधित किये जाने का निवेदन किया गया है। उक्त आवेदन के समर्थन में वादी तेजसिंह की ओर से स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने लिखित कथन व आवेदन का जबाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण का मकान खाली पड़ा है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने नोटरी अनुबंध दस्तावेज इकरारनामा द्वारा दिनांक 07.02.2005 को वादी के एक मकान जिसकी लंबाई उत्तर-दक्षिण 50 फीट तथा चौड़ाई पूरव पश्चिम 33 फीट 6 इंच नोटरी इकरारनामा के अनुसार क्रय किया गया था और क्रय दिनांक से उसमें निवास कर रहे हैं और वह पुश्तनी मकान में निवास नहीं कर रहा है और वह खाली पड़ा है तथा वादी अपने मकान में निवास कर रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 हरिश्चंद्र के बंधु वारिस हैं तथा उनके हिस्से कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा हरिश्चंद्र रेल्वे विभाग से सेवा निवृत्त होकर मुम्बई में निवास करते हैं तथा उनके कई मकान हैं तथा कई शादियां भी की हैं। वादी का पुत्र बादशाह अभी जीवित है, जब कि भागवती के नाम से प्रकरणक क्रमांक 1/2010 में ओ.बी.सी. बैंक से एफ.डी0 बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय से प्राप्त किया है। आवेदक/वादी द्वारा चिंतामन से जगह क्रय कर दो मकान बनाये थे, उसमें से एक मकान प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिनांक 07.02.2005 को इकरार नोटरी से एक लाख रुपये लेकर विक्रय कर दिया गया था तथा कब्जा सौंप दिया था तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 की

शादी भी उसी मकान से दिनांक 21.05.2005 को हुई थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 उसी मकान में परिवार सहित निवास कर रहा है। जहां तक हरिश्चंद्र द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 कलावती की सहमति से दूसरे विवाह कर लेने का प्रश्न है, तो यह तथ्य गलत है और प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा पिता हरिश्चंद्र के विरुद्ध भरण पोषण का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। प्रतिवादीगण वादी से क़य किये गये मकान में 2005 से निवास कर रहे हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में होने से वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि—

- अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है?
- ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है?
- स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

5. वादपत्र के पद क्रमांक 3 में वादी का अभिवचन है कि उसने सर्वे क्रमांक 2213, 284/1, 2285/1, 2286/1 (बंदौवस्त पश्चात सर्वे क्रमांक 2158, 2212, 2213, 4099) में से 0.052 हेक्टेयर भूमि क़य की और उस पर दो हिस्सों पर मकान बनवाया, जिसके एक भाग में वादी की पुत्रबधू व नाती नातिन रहते हैं तथा दूसरे भाग में वादी निवास करता है। वादी के पृथक् निवास वाले भाग पर प्रतिवादीगण ने विवाद उत्पन्न कर दिया है, जिससे यह वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ है। वादी के उपरोक्त अभिवचन से यह स्पष्ट है कि इस मामले में वादग्रस्त संपत्ति उपरोक्त वादी का पृथक् निवास वाला मकान है। प्रतिवादीगण ने लिखित कथन के पद क्रमांक 3 में यह अभिवचन किया है कि वादी ने चिंतामन से भूमि क़य कर दो मकान बनाये थे, जिसमें से एक मकान वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को नोटरीकृत इकरारनामा दिनांक 07.02.2005 के माध्यम से एक लाख रुपये नगद लेकर मकान विक्रय कर दिया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 निवास करते हैं। इस प्रकार



उभयपक्ष के अभिवचन इस संबंध में परस्पर विरोधाभासी है कि वादग्रस्त संपत्ति (मकान) पर वादी का आधिपत्य है।

6. उभयपक्ष के अभिवचन से इस संबंध में कोई विवाद होना दर्शित नहीं है कि वादी ने चिंतामन से सर्वे क्रमांक 2213, 284/1, 2285/1, 2286/1 (बंदौवशत पश्चात सर्वे क्रमांक 2158, 2212, 2213, 4099) में से 0.052 हेक्टेयर भूमि क़य की और उस पर दो हिस्सो पर मकान बनवाया। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 06.8.1993 एवं भू अधिकार ऋणपुस्तिका की प्रति से भी उक्त अभिवचन की पुष्टि होती है।

7. प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने इकरारनामा दिनांक 07.02.2005 के माध्यम से वादी का मकान क़य किया और उस पर कब्जा प्राप्त कर निवास कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त इकरारनामा दिनांक 07.02.2005 की प्रति से भी प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य इकरारनामा हुआ था और उक्त इकरारनामा के माध्यम से तेजसिंह ने महेन्द्र सिंह को मौके पर कब्जा दे दिया है। वादी के द्वारा उपरोक्त इकरारनामा के संबंध में वादपत्र में कोई अभिवचन नहीं किये हैं, परंतु महेन्द्र सिंह का इस शपथपत्र दिनांक 31.12.2012 की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है। इसके अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त शपथ पत्र के माध्यम से महेन्द्र सिंह ने यह घोषणा की है कि "उसका मकान पर कोई हक नहीं है और न ही उसने व उसके पिता ने मकान बनवाया है और न ही पैसे दिये हैं, उसने धोखे से नौकरी के बहाने हस्ताक्षर करा लिये हैं।" वादी के द्वारा उक्त इकरारनामा दिनांक 07.02.2005 का वाद पत्र में कोई अभिवचन नहीं किया गया है, परंतु वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 31.12.2012 से यह दर्शित हो रहा है कि वादी को उपरोक्त दस्तावेज दिनांक 07.02.2005 का पूर्व से ज्ञान था और उसने ज्ञान होते हुये भी तत्संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया। जहां तक शपथपत्र दिनांक 31.12.2012 का संबंध है, से ऐसा दर्शित नहीं होता है कि वादग्रस्त संपत्ति मकान का कब्जा प्रतिवादी क्रमांक 1 महेन्द्र ने वादी को दिया हो, बल्कि इकरारनामा दिनांक 07.

02.2005 से यह प्रकट हो रहा है कि वादी ने महेन्द्र को कब्जा सौंपा था। अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि दिनांक 07.02.2005 में वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को कब्जा सौंपने के पश्चात पुनः प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी को कब्जा दिया हो। ऐसी स्थिति में इस प्रक्रम पर साक्ष्य के बिना इस तथ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि प्रथम दृष्टया वादग्रस्त संपत्ति मकान पर वादी का आधिपत्य है। वादी ने यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है तथा आवेदन में संपत्ति पर अनाधिकृत हस्तक्षेप की सहायता चाही है। अतः इस प्रक्रम पर वादग्रस्त संपत्ति पर प्रथम दृष्टया वादी का आधिपत्य दर्शित न होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

8. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का आधिपत्य होना प्रकट नहीं हुआ है और न ही प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में नहीं है।

9. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)  
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 16.08.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)  
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
भिण्ड (मध्यप्रदेश)